भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3902**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

रबर उत्पादनकर्ता

3902. श्री थोमस चाज़िकाडनः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्राकृतिक रबर के मूल्यों में गिरावट के कारण रबर उत्पादनकर्ताओं के समक्ष उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में सरकार को जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में रबर उत्पादनकर्ताओं हेतु उचित मूल्य तंत्र अपनाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हो;

(ख) क्या सरकार ने रबर उत्पादनकर्ताओं को 200 किलोग्राम प्रति किलो का न्यूनतम उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए हो और यदि हां, तो सरकार के पास ''रबर स्थिरीकरण निधि'' के अंतर्गत पड़ी हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस धनराशि को विहित तरीके से उत्पादन प्रोत्साहन के रूप में रबर उत्पादनकर्ताओं के मध्य संवितरित करने की संभावना है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय–सीमा तय की गई है;

(घ) क्या सरकार घरेलू प्राकृतिक रबर उत्पादनकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु प्राकृतिक रबर पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या रबर उत्पादनकर्ताओं को कोई बकाया राजसहायता का भुगतान किया जाना है और यदि हां, तो उक्त बकाया राशि कितनी है और रबर उत्पादकर्ताओं को शीघ्र राज सहायता का बकाया भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हो/उठाए जा रहे हो?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): विगत कुछ वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ (एनआर) की कीमतें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपेक्षाकृत कम स्तरों पर रही हैं । तथापि, हाल के सप्ताहों के दौरान रबड़ की कीमतों में वृद्धि होने लगी है और जून,2019 में आरएसएस 4 ग्रेड की औसत कीमत 150.29 रु प्रति किलोग्राम थी। प्राकृतिक रबड़ (एनआर) की कीमतें बाजार बलों और अन्य कई कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ -साथ, प्रमुख उपभोक्ता देशों में आर्थिक विकास की प्रवृत्तियॉ, तेल/कृत्रिम रबड़ की कीमतें, मौसम की परिस्थितियॉ और भावी बाजारों में विकास शामिल हैं । घरेलू एनआर बाजार सामान्यत: क्षेत्र विशिष्ट एवं मौसमी घटकों के कारण कुछ विचलनों के साथ विश्व बाजार की प्रवृतियों का ही अनुसरण करता है घरेलू एनआर की कीमत एनआर के आयात सबद्ध होती हैं । इसलिए एनआर के आयात को विनियमित करने के लिए, सरकार ने शुष्क रबड़ के आयात पर शुल्क ''20 प्रतिशत या 30 रूपये प्रति किलोग्राम'' जो भी कम हो, को दिनांक 30.4.2015 से बढ़ाकर ' 25 प्रतिशत या 30 रूपये प्रति किलोग्राम जो भी

कम हो ' कर दिया है । सरकार ने जनवरी,2015 में अग्रिम लाइसेसिंग स्कीम के तहत आयातित शुष्क रबड़ के उपयोग की अवधि को 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है । विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने प्राकृतिक रबड़ के आयात पर दिनांक 20 जनवरी 2016 से चेन्नई और नावाशेवा (जवाहर लाल नेहरू पत्तन) को प्रवेश के पत्तन के रूप में प्रतिबंधित करके पत्तन प्रतिबंध अधिरोपित किए हैं ।

(ख) और (ग): प्राकृतिक रबड़ को उन मदों में शामिल नहीं किया गया है जिनके लिए न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) अधिसूचित की जाती है । वाणिज्य विभाग में "रबड़ स्थिरीकरण निधि" शीर्ष के तहत कोई स्कीम नहीं है।

(घ): एन आर के सभी शुष्क प्रकारों (एचएस 40012,400122, और 400129) के लिए डब्ल्यूटीओ बाध्य दर 25 % है और लेटेक्स (एचएस 400110) की कोई बाध्य दर नहीं है वर्तमान में प्राकृतित रबड़ के शुष्क रूप पर लागू दर 25% अथवा 30 रूपए प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो और लेटेक्स पर लागू दर 70% अथवा 49 रूपए प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो, है। चूंकि, एनआर के शुष्क रूप पर आयात शुल्क पहले ही 25% की बाध्य दर के बराबर है, इसिलए उस अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। लेटेक्स का आयात शुल्क पहले ही अधिक है और वर्ष 2018-19 में आयातित रबड़ का केवल 1.7% लेटेक्स था।

(ड.): वैसे तो सब्सिडी की कोई बकाया राशि लंबित नहीं है । अनुमोदित /आबंटित निधियों में से जितने आवेदनों को मंजूरी दी जा सकती थी, विगत वर्षों में उससे अधिक आवेदन प्राप्त हुए । जब कभी निधियां उपलब्ध होगीं, इन आवेदनों पर उनकी स्वीकृति की स्थिति,स्कीम दिशानिर्देशों और लाभार्थियों की पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा।